साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every

वर्ष : 8, अंक : 13 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 16 नवंबर 2022 से 22 नवंबर 2022 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

कॉप 27 का प्रमुख प्रायोजक कोका-कोला, प्लास्टिक प्रदूषण के मामले में भी है अव्वल

नई दिल्ली। एक नई रिपोर्ट में दावा किया है कि कोका-कोला कंपनी 2018 से 2022 के बीच दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदूषक थी। वहीं दूसरी तरफ आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह कंपनी शर्म अल-शेख में जलवायु परिवर्तन पर चल रहे शिखर सम्मेलन (कॉप 27) के सबसे प्रमुख प्रायोजकों में से एक है।

2018 के बाद से 87 देशों में करीब 2 लाख स्वयंसेवकों द्वारा कचरे को साफ करने के लिए चलाए अभियानों में प्लास्टिक कचरे में कोका-कोला के 85,035 उत्पादों का पता चला है। यह जानकारी 11,000 से ज्यादा संगठनों और समर्थकों के एक वैश्विक समूह ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक (बीएफएफपी) द्वारा जारी रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा दो अन्य शीर्ष प्रदूषकों - पेप्सिको और नेस्ले दोनों की तुलना में भी ज्यादा था। 15 नवंबर, 2022 को प्रकाशित %ब्रांड ऑडिट रिपोर्ट 2018-2022% के अनुसार 2018 से 2022 के बीच ब्रांड ऑडिट में पेप्सिको ब्रांडे के उत्पादों के 50,558 और नेस्ले ब्रांडे के 27,008 उत्पादों को एकत्र किया है। इस बारे में बीएफएफपी ने अपनी वेबसाइट में लिखा है कि, ब्रांड ऑडिट एक वैज्ञानिक भागीदारी पहल है जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कंपनियों की पहचान करने के लिए प्लास्टिक कचरे में पाए जाने वाले ब्रांडों की गिनती और उनका दस्तावेजीकरण करना शामिल है। इतना ही नहीं रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि कोका कोला लेबल वाले प्लास्टिक वेस्ट उत्पादों की हिस्सेदारी भी पिछले पांच वर्षों में काफी बढ़ गई है। जैसा कि निष्कर्षों से पता चला है कि 2018 में, वैश्विक स्तर पर एकत्र किए गए करीब 255,429 प्लास्टिक में से 9,300 वस्तुओं को कोका-कोला उत्पादों के रूप में पहचाना गया। वहीं 2022 में एकत्र किए कुल 429,994 प्लास्टिक में से यह मात्रा बढ़कर 31,457 पर पहुंच गई है।

इस बारे में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय संगठनों के नेटवर्क ने अपने प्रेस को दिए बयान में कहा है कि, यह देखते हुए कि इसमें से 99 फीसदी प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से बना है, कॉप 27 में कोका-कोला की भूमिका पर्यावरण कार्यकर्ताओं को हैरान करती है। वहीं ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक के ग्लोबल कोऑर्डिनेटर वॉन हर्नांडेज का कहना है कि, सरकारों को कोका कोला जैसी कंपनियों को अपनी छवि सुधारने का मौका देने के बजाय इन प्रदूषकों को पुनः उपयोग और वैकल्पिक उत्पाद वितरण प्रणालियों में निवेश करने के लिए मजबूर करने की जरूरत है, जिसे इस समस्या को पहले पड़ाव पर ही दूर किया जा सके। उनका कहना है कि यह जलवायु परिवर्तन और प्लास्टिक प्रदूषण के होने वाले दुष्परिणामों को रोकने के लिए यह एक बेहद जरूरी प्रणालीगत परिवर्तनों में से एक है। रिपोर्ट के अनुसार एलेन मैकआर्थर फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 2018 में शुरू की गई %न्यू प्लास्टिक इकोनॉमी ग्लोबल कमिटमेंट% में शामिल कंपनियां वास्तव में प्लास्टिक पैकेजिंग के उपयोग में वृद्धि कर रही हैं। ऐसे में यह यह कंपनियां निश्चित रूप से 2025 तक 100 फीसदी दोबारा उपयोग और कंपोस्टेबल पैकेजिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने से चूक जाएंगी। बीएफएफपी के विश्लेषकों का कहना है कि, 2019 में कोका-कोला कंपनी ने कुल 30 लाख टन प्लास्टिक पैकेजिंग का इस्तेमाल किया था जो 2022 में बढ़कर 32.2 लाख टन से ज्यादा हो गया है। इसी तरह पेप्सिको का वार्षिक उपयोग 2019 में 23 लाख टन से बढ़कर 2022 में 25 लाख टन पर पहुंच गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोका-कोला की भारतीय सहायक कंपनी ने अभी तक केरल के प्लाचीमाडा में भूजल के दोहन और दूषित करने का मुआवजा ग्रामीणों को नहीं दिया है। इससे प्रभावित लोग पिछले दो दशकों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।

PM Modi का मिशन लाइफ बनेगा स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा, बच्चों को दी जाएगी पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली की टिप्स

नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों के चलते जब पूरी दुनिया पर संकट के बादल छाए हुए है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मिशन लाइफ (लाइफ स्टाइल फार एनवायरमेंट) यानी पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली की सीख नई पीढ़ी के लिए बड़ा वरदान साबित हो सकती है। इस दिशा में पहल शुरू हो गई है। पीएम के %मिशन लाइफ% को समूचे स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है, जो बुनियादी स्तर से ही स्कूलों में बच्चों को सिखाया और पढ़ाया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निर्देश पर स्कूली शिक्षा विभाग ने पीएम के मिशन लाइफ से नई पीढ़ी को जोड़ने की यह अहम पहल तब की है, जब देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत नया स्कूली पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। ऐसे में मिशन लाइफ से जुड़ी पहल को भी स्कूलों में अलग-अलग स्तर पर शामिल करने की दिशा में काम चल रहा है। हाल ही में जारी किए गए स्कूलों के बुनियादी स्तर पर के नए कैरीकुलम फ्रेमवर्क में भी पर्यावरण को पर्याप्त जगह दी गई है। इस दौरान इन जिन अहम पहलुओं को स्थान दिया गया है, उनमें ऊर्जा और पानी की बचत, सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करना, स्वच्छता पर जोर देना, मौसम अनुकूल खान-पान, कचरा प्रबंधन, स्वस्थ जीवन शैली के लिए जरूरी उपाय , ई-वेस्ट को कम करना जैसे विषयों पर फोकस किया गया है। आने वाले स्कूली पाठ्यक्रम में यह सभी विषय देश को नई पीढ़ी को किसी न किसी रूप में पढ़ने को मिलेंगे।

भारत के राष्ट्रीय घोषणा पत्र में दम नहीं, विशेषज्ञों को शिकायत

विशेषज्ञों ने कहा कि कॉप 27 में भारत के घोषणा पत्र में प्रमुख वार्ता एजेंडा का कोई उल्लेख नहीं है

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 27वें सम्मेलन (कॉप 27) के विस्तृत सत्र के दौरान 15 नवंबर, 2022 को भारत का राष्ट्रीय घोषणा पत्र, एलआईएफई या लिफे – %पर्यावरण के लिए जीवन शैली% जारी किया गया। एलआईएफई को ग्लासगो में कॉप 26 के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किया गया था। विशेषज्ञों ने कहा, हालांकि घोषणा पत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख किया गया है, जिसमें विकसित देशों से वित्तीय सहायता, हानि और क्षति के साथ-साथ जीवाश्म ईंधन में कटौती करना शामिल है। भारत के घोषणा पत्र में दावा किया गया है कि भारत ने उत्सर्जन में कटौती के लिए पहले ही कठोर प्रयास कर लिए हैं।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत जहां 1.3 अरब लोग रहते हैं, वह उत्सर्जन में कटौती के इस कठिन प्रयास को अंजाम दे रहा है, इस वास्तविकता के बावजूद कि दुनिया के बढ़ते उत्सर्जन में हमारा योगदान अब तक चार प्रतिशत से कम है और हमारा वार्षिक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत का लगभग एक-तिहाई है। यादव ने बताया कि भारत पहले ही प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में कार्बन को कम करने की और अग्रसर है तथा भारत ने अपनी %लंबी अवधि के उत्सर्जन में बहुत कम वृद्धि की रणनीति% प्रस्तुत कर दी है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री द्वारा 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा के एक साल के भीतर किया गया।

जलवायु विशेषज्ञों ने बताया कि भारत की लंबे समय की रणनीति मूल रूप से पुरानी प्रतिबद्धताओं और आंकड़ों और विशिष्ट लक्ष्यों की कमी का मिश्रण है। वैश्विक राजनीतिक रणनीति के तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के प्रमुख हरजीत सिंह ने कहा, हालांकि कॉप 27 में जारी जीवाश्म ईंधन से बदलाव या दूसरे विकल्पों को अपनाने के लिए भारत की दीर्घकालिक रणनीति एक उत्साहजनक कदम है। नीति निर्माताओं को अब रणनीति को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य रखने चाहिए जो मील के पत्थर साबित हों। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दावा किया कि भारत ने अपने 2030 के जलवायु लक्ष्यों में वृद्धि की महत्वाकांक्षा के आह्वान के जवाब में अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पहले ही अपडेट कर दिया है। एनडीसी देशों द्वारा किए गए उत्सर्जन में कटौती के लिए स्वैच्छिक संकल्प है। घोषणा में यह भी उल्लेख किया गया है कि कैसे देश ने नवीकरणीय ऊर्जा, ई-वाहन, इथेनॉल मिश्रित ईंधन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन आदि में दूरगामी पहल शुरू की गई है।

इसमें देश की अंतर्राष्ट्रीय पहलों जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोध बुनियादी ढांचे के गठबंधन का उल्लेख किया गया है। यादव ने आगे कहा कि भारत 2023 में %एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य% के आदर्श वाक्य के साथ जी20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, उन्होंने कहा एक सामूहिक यात्रा हमारे मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में इक्विटी और जलवायु न्याय के साथ शुरू करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। घोषणा का केंद्र बिन्दु हालांकि मिशन एलआईएफई था, जिसमें बयान का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा शामिल है। यादव ने कहा, भारत के एक सुरक्षित ग्रह का दृष्टिकोण के केंद्र में यह एक शब्द मंत्र के समान है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली – जिसे प्रधान मंत्री मोदी ने कॉप 26 में हमारे राष्ट्रीय घोषणा में निर्धारित किया है। उन्होंने कहा दुनिया को तत्काल अर्थहीन और विनाशकारी खपत से सचेत रहने और उनके जानबूझकर उपयोग करने पर रोक के लिए भारी बदलाव की आवश्यकता है। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र और एक जीवंत उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत नेतृत्व करना चाहता है और वैश्विक समुदाय को मिशन एलआईएफई का हिस्सा बनने जिसमें व्यक्तिगत, परिवार और समुदाय आधारित कार्यों के लिए आमंत्रित करता है।

अयस्क क्षेत्र को आधुनिकता की जरूरत

भारत के इस्पात उत्पादन को तीन गुणा बढ़ाकर भी साल 2030 तक कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन में भारी कमी लाना संभव है, लेकिन इसके लिए योजना, तकनीक और पैसे की जरूरत होगी लेकिन यह भी साफ तौर पर पता चल रहा है कि कार्रवाई हो नहीं रही है और उस स्तर या उस रफ्तार से नहीं हो रही है, जिसकी जरूरत है। इस पर हम बाद में कभी विस्तार से बात करेंगे। इस समय हम भारत में लौह व इस्पात सेक्टर में डीकार्बनाइजेशन के विकल्पों पर विमर्श करना चाहते हैं।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) के हमारे सहयोगी बताते हैं कि भारत के इस्पात उत्पादन को तीन गुणा बढ़ाकर भी साल 2030 तक कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन में भारी कमी लाना संभव है, बल्कि हम जितना उत्सर्जन अभी कर रहे हैं, उससे भी कम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए योजना, तकनीक और पैसे की जरूरत होगी। सच बात तो यह है कि भारत जैसे देशों को अभी और विकसित होने की जरूरत है और वह भी ऐसे समय में जब तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने के लिए पूरी दुनिया में कार्बन बजट घट रहा है। ऐसे में भारत की वृद्धि कम कार्बन उत्सर्जन करते हुए होनी चाहिए और हो सकती है। हमारी रिपोर्ट डीकार्बनाइजिंग इंडियाऱ्आयरन एंड स्टील सेक्टर बताती है कि यह संभव है।

वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में लौह व इस्पात सेक्टर की बड़ी भूमिका है। कुल ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में 7 प्रतिशत भागीदारी लौह व इस्पात सेक्टर की है। वहीं, साल 2016 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में इस सेक्टर की भागीदारी पांच प्रतिशत है। लौह व इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले देश के मुकाबले भारत में बहुत कम उत्पादन होता है। दुनिया में चीन सबसे ज्यादा लौह व इस्पात का उत्पादन करता है, जो भारत से 10 गुना अधिक है। साल 2019 में चीन ने 10,500 लाख टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया था, जबकि भारत का उत्पादन महज 1,000 लाख टन था। भारत में बुनियादी ढांचे के लिए काफी इस्पात चाहिए और इसलिए भारत को इस्पात उत्पादन बढ़ाने की जरूरत होगी। भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत भी कम है। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक, साल 2030 तक भारत की उत्पादन क्षमता 3,000 लाख टन हो जाएगी और उत्पादन 2,550 लाख टन हो जाएगा, तब भी भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत 160 किलोग्राम ही रहेगी। वैश्विक स्तर पर अभी प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत 229 किलोग्राम है। उत्पादन बढ़ाने की हमारी जरूरत को लेकर बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है। सवाल सिर्फ यह है कि इस सेक्टर से होने वाले कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या करने की जरूरत है? भारत को क्या करना चाहिए और इस संक्रमण को सुनिश्चित करने के लिए दुनिया क्या कर सकती है? लौह और अयस्क उद्योग से उत्सर्जन की कहानी अन्य उद्योगों सरीखी ही है। इस उद्योग में फर्नेस को जलाने के लिए कोयला, गैस या स्वच्छ बिजली जैसे ईंधन की जरूरत पड़ती है, जिससे उत्सर्जन होता है, लेकिन अन्य उद्योगों की तुलना में इस उद्योग में एक महत्वपूर्ण अंतर है। औद्योगिक इकाई से कितना कार्बन डाईऑक्साइड निकलेगा यह उत्पादन की प्रक्रिया तय करता है। जब लोहे का उत्पादन ब्लास्ट फर्नेस से और फिर अयस्क का उत्पादन सामान्य ऑक्सीजन फर्नेस (बीएफ-बीओफ) के जरिए होता है, तो अयस्क को धातु में बदलने के लिए कार्बन डाईऑक्साइड पैदा करने वाले कोयले की जरूरत पड़ती है। इस वजह से इस सेक्टर को डीकार्बनाइज करना कठिन हो जाता है, लेकिन भारत में कुल लोहे और अयस्क का आधा हिस्सा इसी पद्धति से तैयार किया जाता है। लोहा तैयार करने का अन्य तरीका डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) या स्पंज आयरन है।

तेलंगाना- अवैध स्टोन क्रशरों को बंद करने के आदेश, लगाया जुर्माना

तेलंगाना- तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा 15 नवंबर, 2022 को सबमिट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि रंगारेड्डी और संगारेड्डी जिलों के वट्टिनगुलापल्ली, कोकापेट, गौल्डोड्डी, गोपनपल्ली, कोल्लूर, कोतवालगुडा, उस्माननगर गांवों में चल रहे अवैध स्टोन क्रशर के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

गौरतलब है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 14 अक्टूबर, 2022 को तेलंगाना एसपीसीबी को उन स्टोन क्रशर पर की गई कार्रवाई के बारे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। एसपीसीबी के अधिकारियों ने हिमायतसागर और उस्मानसागर झील के 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद स्टोन क्रशिंग इकाइयों का निरीक्षण किया थी। इन स्टोन क्रशिंग इकाइयों की स्थिति के बारे में यह जानकारी साझा की गई है- तीन स्टोन क्रशर इकाइयां के पास वैध सहमति (सीएफओ) थी इसलिए उन इकाइयों पर पर्यावरण जुर्माना नहीं लगाया गया है। 13 क्रशिंग इकाइयों को नष्ट कर दिया गया है और इन इकाइयों में कोई गतिविधि नहीं देखी गई। तेलंगाना एसपीसीबी की उपस्थिति में राजस्व अधिकारियों द्वारा पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने वाले 12 स्टोन क्रशरों को जब्त कर लिया गया है। जब्ती के बाद यह क्रशर बंद पड़े हैं और इन्हें मुआवजा भरने का आदेश दिया है। उनमें से मैसर्स एसएमआई स्टोन क्रशर (शमा मेटल इंडस्ट्री) को 3 लाख और मैसर्स डीबीआर मेटल इंडस्ट्री को 83.6 लाख रुपए का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है। यह दोनों ही रंगारेड्डी जिले के कोठवलगुडा, शमशाबाद में चल रहे थे। साथ ही तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि वो जारी निर्देशों का पालन हो रहा है इसको देखने के लिए स्टोन क्रशिंग इकाइयों की नियमित निगरानी करेगा। एनजीटी ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को पर्यावरण बहाली पर ध्यान देने का दिया निर्देश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की इस दलील को स्वीकार कर लिया है कि कंपनी पर लगाए गए 25 करोड़ रुपये के जुर्माने को पर्यावरणीय मुआवजे के बजाय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) गतिविधि के रूप में माना जाए। गौरतलब है कि एनजीटी ने गत 2 फरवरी, 2022 को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पर पर्यावरणीय जुर्माने के रूप में 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। मामला राजस्थान के भीलवाड़ा की हर्ड तहसील के अगुचा और रामपुरा में 1200 हेक्टेयर खनन क्षेत्र में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है। इस क्षेत्र में सीसा, जस्ता और संबंधित खनिजों के खनन के लिए पट्टा दिया गया था। शिकायतों पर गौर करने के बात पाया गया कि भारी विस्फोट और भूमिगत खनन के चलते इस क्षेत्र में पानी के स्रोत दूषित हो गए हैं। इससे मवेशी प्रभावित हुए हैं और कृषि भूमि और यहां रहने वाले लोगों के घरों के पास धूल और पत्थर जमा हो जाते हैं। साथ ही खदानों से दूषित अपशिष्ट जल छोड़ा जाता है। इस मामले में एनजीटी गठित एक संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इससे जल स्रोतों के साथ कृषि उपज, और पशुधन को नुकसान पहुंचा है। भूजल के दूषित होने के साथ ही भूमि की गुणवत्ता में गिरावट आई है। ऐसे में एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच ने 14 नवंबर, 2022 को निर्देश दिया है कि कार्य योजना के निष्पादन के दौरान, भूजल और मिट्टी की गुणवत्ता के संरक्षण के लिए माइक्रो वाटरशेड प्रबंधन योजना और घरों के लिए स्वास्थ्य कार्ड पर ठीक तरीके से ध्यान देना होगा। इसके अलावा, उचित निगरानी और मूल्यांकन के लिए, एक विश्वसनीय एजेंसी के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपचारात्मक उपायों का एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष के माध्यम से सत्यापन किया जाना चाहिए और इसकी रिपोर्ट, बहाली उपायों के पूरा होने तक हर छह महीने में कंपनी की वेबसाइट पर डाली जानी चाहिए।

लक्षद्वीप में सिंगल यूस प्लास्टिक को कर दिया गया है बैन -लक्षद्वीप में सिंगल यूस प्लास्टिक के उन्मूलन पर कार्य योजना के तहत गतिविधियों की निगरानी के लिए राज्य, जिला और आइलैंड के स्तर पर एक तीन-स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जानकारी मिली है कि लक्षद्वीप प्रशासन ने सभी प्रकार के प्लास्टिक पिक अप कैरी बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है और सिंगल यूस प्लास्टिक की पहचानी गई 23 वस्तुओं की बिक्री और उपयोग को भी प्रतिबंध कर दिया है। यह जानकरी 15 नवंबर 2022 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप द्वारा दायर रिपोर्ट में कही गई हैं। जानकारी दी गई है कि किचन वेस्ट के प्रबंधन के लिए वहां 43 बायोगैस प्लांट काम कर रहे हैं। लक्षद्वीप में कोई भी अनियंत्रित कचरा डंपसाइट और सैनिटरी लैंडफिल नहीं है और केंद्र शासित प्रदेश ने एंड्रोट, कवारत्ती और बित्रा के तीन द्वीपों में 1618 जैव-शौचालयों का निर्माण किया है। लक्षद्वीप में हर दिन पैदा हो रहा कुल सॉलिड वेस्ट करीब 18 टन है, जिसमें से करीब 12 टन नॉन-बायोडिग्रेडेबल और 6 टन बायोडिग्रेडेबल, विशेष रूप से रसोई से निकलने वाला वेस्ट है। एनजीटी को बताया गया है कि सभी द्वीपों और ग्राम पंचायतें में घरों के पास 150 लीटर क्षमता के 4,686 सामुदायिक डस्टबीन लगाए गए हैं।

एयर क्वालिटी ट्रैकर-दमघोंटू हुई बिहार के बेतिया और पूर्णिया में हवा, आइजोल से 20 गुना ज्यादा रहा प्रदूषण

पटना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 16 नवंबर 2022 को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 176 शहरों में से केवल 13 में हवा बेहतर रही, जबकि 31 शहरों की श्रेणी संतोषजनक, 74 में मध्यम रही। वहीं 44 शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर खराब दर्ज किया गया, जबकि 12 शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब रहा। वहीं दो शहरों बेतिया (423) और पूर्णिया (418) में वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। यदि दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 दर्ज किया गया है। दिल्ली के अलावा फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 266, गाजियाबाद में 218, गुरुग्राम में 248, नोएडा में 220 पर पहुंच गया है। देश के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़े आंकड़ों को देखें तो मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 190 दर्ज किया गया, जो प्रदूषण के खराब स्तर को दर्शाता है। जबकि कोलकाता में यह इंडेक्स 237, चेन्नई में 121, बैंगलोर में 129, हैदराबाद में 106, जयपुर में 182 और पटना में 311 दर्ज किया गया।

क्या जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ते पलायन को वैश्विक मान्यता मिल पाएगी?

नई दिल्ली। भारत के पुराने सूखाग्रस्त क्षेत्रों से दिहाड़ी मजदूरों का देशभर में पलायन हुआ है। फोटोः प्रशांत रविभारत के पुराने सूखाग्रस्त क्षेत्रों से दिहाड़ी मजदूरों का देशभर में पलायन हुआ है। फोटोः प्रशांत रवि भारत के पुराने सूखाग्रस्त क्षेत्रों से दिहाड़ी मजदूरों का देशभर में पलायन हुआ है। गांव से शहरों में होने वाला पलायन हमेशा से आकस्मिक अथवा दीर्घकालीन आर्थिक आघात का संकेतक रहा है। अधिकांश समय इस आघात के पीछे जलवायु कारक रहे हैं। उदाहरण के लिए, गंभीर सूखे अथवा चक्रवात के कारण आजीविका खत्म हो जाती है] जो अंततः पलायन बढ़ाती है। समय के साथ पलायन हालात से जूझने के एक तंत्र के रूप में विकसित हुआ है। आप इसे अनुकूलन प्रतिक्रिया के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। जलवायु आपातकाल इसे और तीव्र कर रहा है क्योंकि अधिक से अधिक आपदाएं देशों को प्रभावित कर रही हैं। यह आपातकाल लोगों की सहनशक्ति को भी लगातार कम कर रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (आईओएम) का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से प्रेरित आपदाएं पलायन को नए रूप दे रही हैं।

अब पलायन केवल देश के भीतर ही नहीं] बल्कि देशों के बीच भी हो रहा है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण देश के भीतर पलायन बढ़ रहा है। 2050 तक 21.6 करोड़ लोग देश के भीतर पलायन करेंगे। यह प्रवृत्ति पहले से ही है कि युद्ध और संघर्षों के मुकाबले जलवायु परिवर्तन से प्रेरित मौसमी आपदाएं विस्थापन के लिए अधिक जिम्मेदार हैं। समय के साथ बहुत से देश पलायन करने वाले जनसैलाब को शहरों में नहीं खपा पाएंगे और लोगों को अंततः दूसरे देशों में जाना होगा, भले ही वहां उनका स्वागत हो या न हो।

अब यह भविष्य का परिदृश्य नहीं है, बल्कि इसे हम मौजूदा समय में ही देख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण आजीविका के स्रोतों पर संकट मंडराने के परिणामस्वरूप 2050 तक 2.5 अरब अतिरिक्त लोगों के शहरी क्षेत्रों में रहने का अनुमान है। दुनिया इस वास्तविकता को जान रही है और जलवायु परिवर्तन के ढांचे के भीतर जलवायु कारकों के कारण होने वाले विस्थापन और पलायन पर चर्चा की जा रही है। आईओएम के महानिदेशक एंटोनियो विटोरिनो कहते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव हर जगह पलायन की प्रवृत्ति को आकार दे रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय अब जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर विचार किए बिना पलायन और विकास नीति को लागू नहीं कर सकता।

पलायन को पहले से एक अनुकूलन उपकरण के रूप में स्वीकार्यता प्राप्त है। भारत के पुराने सूखाग्रस्त क्षेत्रों से दिहाड़ी मजदूरों का देशभर में पलायन हुआ है। यह पलायन उनकी आय का प्रमुख स्रोत बनकर उभरा है। इन क्षेत्रों में एक किसान खेती से अधिक मजदूरी से कमाता है। एक देश के भीतर काउंटी अथवा राज्यों में ऐसे तंत्र हैं जो न केवल प्रवासियों को सुविधा प्रदान करते हैं बल्कि उनकी आजीविका को आगे बढ़ाने के अधिकार की रक्षा भी करते हैं।

हालिया समय में भारतीय राज्य आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों के पुनर्वास के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों को अपना रहे हैं। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित गांवों के पुनर्वास की योजना है, वहीं ओडिशा समुद्र के कटाव से प्रभावित गांवों का पुनर्वास कर रहा है। इसके अलावा प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए कई राज्यों में समझौते हैं। संक्षेप में कहें तो ये कदम विवशता भरे पलायन को देखते हुए अनुकूलन रणनीति के तौर पर विकसित हुए हैं।

एक खराब जलवायु युग में हम पूरी धरती पर ऐसी अनुकूलन प्रतिक्रिया को अनुभव करेंगे लेकिन, देशों की अपनी सीमाएं हैं जो इसका सम्मान नहीं करती। इससे दुनिया में पहले से ही व्याप्त आव्रजन संकट और गहराएगा। न केवल जलवायु, बल्कि जितने भी वैश्विक सम्मेलन हो रहे हैं, उन सबमें जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन के संकट पर अलग-अलग तरीकों से बात हो रही है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण एक से दूसरे देश में पलायन को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता अभी भी दूर की राजनीतिक कौड़ी है। जलवायु संकट के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए यह अगला सबसे बड़ा वैश्विक आह्वान हो सकता है। आईओएम ने यूएनएफसीसीसी के कॉप 27 की पूर्व संध्या पर अपने आह्वान में जलवायु परिवर्तन और प्रवासन नीतियों पर पेरिस जैसे समझौते की मांग की। इसके मूल में जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन को मान्यता दिलाना है। अगर इसमें सफलता मिल गई तो जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन या गतिशीलता को जलवायु ढांचे के भीतर नुकसान और क्षति की परिभाषा के तहत स्वीकार करना होगा। अनुकूलन के लिए पलायन के मामले में राजनीतिक सीमाओं को खत्म करने या भौगोलिक क्षेत्रों में पुनर्वास की आवश्यकता होती है। जरूरी नहीं कि यह पुर्नवास देश के भीतर ही हो। ऐसे मामलों में नुकसान व क्षति की भरपाई की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि यह लंबी प्रक्रिया है, लेकिन भविष्य के लिए इस तरह के अनुकूलन उपायों के बारे में न सोचकर हम जलवायु जनित आपदाओं को और विकराल करेंगे। हमें जहां संभव हो वहां रह सकने, राजनीतिक सीमाओं के भीतर अथवा बाहर रहने के विकल्प खोजने होंगे क्योंकि मौजूदा वक्त में हर कोई जलवायु का शिकार है।

दिल्ली सरकार पर्यावरण व्यय पांच गुना बढ़ाकर 700 करोड़ रुपया करे: आईबीए

नयी दिल्ली इंडियन बायोगैस एसोसिएशन (आईबीए) ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार से पर्यावरण मद में होने वाले बजट खर्च को पांच गुना बढ़ाकर 700 करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया है। आईबीए ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे एक पत्र में कहा है कि राजधानी के वायु प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण पर होने वाला बजट खर्च कुल बजट आवंटन का कम-से-कम एक प्रतिशत होना चाहिए। लेकिन चालू वित्त वर्ष के लिए सिर्फ 126.9 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए हैं जो मौजूदा हालात को देखते हुए बहुत कम है। आईबीए ने कहा कि दिल्ली सरकार को कुल बजट आवंटन का एक प्रतिशत यानी करीब 700 करोड़ रुपये वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए खर्च करना चाहिए। ऐसा होने पर दिल्ली में खराब हवा की वजह से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं पर होने वाले खर्च को कम करने में मदद मिलेगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले कई वर्षों से अक्टूबर-नवंबर के महीनों में वायु गुणवत्ता का स्तर काफी खराब हो जाता है। पंजाब में धान की पराली जलाने को इस समस्या की मुख्य वजह माना जाता रहा है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादकः डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008